उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या- 59/3441/71-1-2014-जी-348/2013
लखनऊ : दिनांक 10 दिसम्बर 2014

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज, अम्बेडकर नगर में संविदा के आधार पर प्रवक्ता के पद पर कार्यरत डा0 सैय्यद इशाम महमूद को 03 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पश्चात् चयन समिति द्वारा इन्हें संविदा पर सहायक आचार्य के रूप में चयनित किये जाने के फलस्वरूप नियुक्ति प्रदान किये जाने के संबंध में महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 के पत्र संख्या-एम0ई0-2/2014/3013, दिनॉक 11-11-2014 में की गयी संस्तुति के आधार पर श्री राज्यपाल महोदय उक्त डा0 सैय्यद इशाम महमूद को सहायक आचार्य के पद पर संविदा के आधार पर शासनादेश संख्या-4661/71-1-08-जी-63/2008, दिनॉक 15-12-2008 तथा शासनादेश संख्या-1364/71-1-10-जी-63/2008, दिनॉक 07-06-2010 एवं शासनादेश संख्या-909/71-1-13-जी-11/2011, दिनॉक 11-04-2013 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार 01 वर्ष अथवा नियमित सहायक आचार्य उपलब्ध होने, जो भी पहले घटित हो, तक के लिए इस प्रतिबन्ध सहित नियुक्त/तैनात किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है कि प्रश्नगत पद अभी भी रिक्त है।

2- यहॉ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि संविदा पर नियुक्त होने वाले उक्त चिकित्सा शिक्षक:-

(1) ओ0पी0डी0 के दिन प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे।
(2) प्राइवेट प्रैक्टिस करने की दशा में प्राइवेट प्रैक्टिस करने के स्थान को निर्दिष्ट करेंगे।
(3) मरीजों को प्राइवेट में देखने के लिए बाध्य नहीं करेंगे।
(4) प्राइवेट प्रैक्टिस करने की दशा में मेडिकल कालेज में आकस्मिक/आपदा सेवाओं के लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगे।
(5) निर्धारित नियत वेतन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के वेतन/भत्ते एवं सेवागत लाभ के हकदार न होंगे।
(6) स्थानान्तरित नहीं किये जायेंगे।
(7) संविदा कालावधि के लिए किसी प्रकार के पेंशन सम्बन्धी सुविधाओं के हकदार नहीं होंगे, न ही ऐसी कालावधि के लिए कोई बोनस पायेंगे।

3- शासनादेश संख्या-4661/71-1-08-जी-63/2008, दिनॉक 15-12-2008 तथा शासनादेश संख्या-1364/71-1-10-जी-63/2008, दिनॉक 07-06-2010 एवं शासनादेश संख्या-909/71-1-13-जी-11/2011, दिनॉक 11-04-2013 में निर्धारित शर्ते व प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगे।

4- शासनादेश दिनॉक 07-06-2010 के प्रस्तर-3(1) में दी गयी व्यवस्थानुसार सहायक आचार्य को रू0 45,000/- नियत वेतन देय होगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- संविदा पर तैनात किये गये संबंधित अभ्यर्थी का चरित्र सत्यापन, स्वास्थ्य परीक्षण, उनके शैक्षणिक एवं अनुभव संबंधी प्रमाणपत्रों/अर्हता के दस्तावेजों का सत्यापन महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ/संबंधित प्रधानाचार्य अपने स्तर से कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। संलग्नक-यथोक्त।

संजय कुमार उपाध्याय
संयुक्त सचिव

संख्या:-59/3441(1)/71-1-2014- तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ0प्र0 लखनऊ।
3- प्रधानाचार्य मेडिकल कालेज, अम्बेडकर नगर।
4- कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, अम्बेडकर नगर।
5- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, अम्बेडकर नगर।
6- संबंधित अभ्यर्थी/चिकित्सा शिक्षक।
7- मुख्य चिकित्साधिकारी, अम्बेडकर नगर।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(शैलेन्द्र नाथ शुक्ल)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in